२

कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर(म0प्र0)

बेबसाईट–www.bmcsagar.edu.in
ई–मेल–deansmc08@yahoo.co.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं.07582–236457

क्रमांक 2624/ भर्तीशाखा/2021 सागर,दिनांक 11 /05/21

//स्टॉफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के पत्र क्र.16/स्था./अराज/2019 भोपाल दिनांक 07/01/19 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2–20/ 2020/1/55 भोपाल दिनांक 09.04.202021 के आधार पर **स्टॉफ नर्स (केवल महिला आवेदक) हेतु** निर्धारित शर्तो एवं निर्धारित प्रारूप में नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

उक्त पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी.ऑनलाईन की बेबसाईटwww.mponnline.gov.inपर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की **अंतिम दिनांक 09.06.2021 समय रात्रि 12:00** बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति सागर हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पद नाम, पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता व अन्य योग्यता आगे वर्णित है। इच्छुक उम्मीदवार एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है:–

स्टॉफ नर्स रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	श्रेणी	विज्ञापित किये जाने वाले कुल पद–98			
01	बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर		O	H	Ex	Total
		अनारक्षित	–	–	–	–
		अनु.जाति	11	1	1	13
		अनु.जनजाति	38	3	4	45
		अन्य पिछड़ा वर्ग	34	2	4	40
		कुल	**83**	**6**	**9**	**98**

उपरोक्त चिन्हित पदों में O(ओपन अथवा खुली) H(विकलांग) Ex से चिन्हित पद भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार हेतु आरक्षित है तथा नर्सिंग स्थापना से प्राप्त जानकारी अनुसार **उक्त सभी पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये है।**

स्टॉफ नर्स के पद हेतु न्यूनतम अनिवार्य योग्यता(अनुसूची अनुसार):–

स्टॉफ नर्स	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।

स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तें:–

1. वेतनमान एंव अन्य भत्ते:–

पद का नाम	7वां वेतनमान मेट्रिक्स अनुसार
स्टॉफ नर्स	28700

महंगाई भत्ता एंव अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावी होगी।

2. आरक्षणः–

I. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

II. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

III. जाति संबंधी आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

IV. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

V. आरक्षण हेतु म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994) में निहित प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

VI. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा,जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी किया गया हों

VII. अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने माता–पिता की पिछले तीन वर्षो की आय का तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

VIII. सामाजिक न्याय एंव निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रंमाक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। इस हेतु 50 प्रतिशत या कम अस्थिबाधित अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता पैरों तक सीमित हो नर्सिंग कांउसिल के नियमानुसार योग्य होंगे।

IX. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम –4(ख) में संशोधन कर संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत "**4–ख. आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन कर सकता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाए बिना उक्त पद अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध नियुक्त किया जाएगा।'

3. आयुसीमाः–

न्यूनतम आयु – 18 वर्ष

अधिकतम आयुः– म.प्र. शासन के नियमानुसार

नोट :– आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

4. सामान्य शर्तेः–

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का नागरिक होना चाहिये।
2. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय पदों की संख्या में परिवर्तन अथवा विज्ञप्ति निरस्त भी की जा सकती है। उम्मीदवार के एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है एंव विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एंव आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेंज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. विज्ञप्ति में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ–2–20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के अंतर्गत जारी नियमों का पालन किया गया है तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 932/स्था/अराज/संचिशि/2019 भोपाल दिनांक 24.08.2019 के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उनके पक्ष में कार्यवाही की जावेगी एवं उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
6. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एंव नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

8. निःशक्तजनों की नियुक्ति हेतु उनके लिये आरक्षित अर्हता पूर्ण करने हेतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पाने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

9. अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, द्वारा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जबावदारी नहीं होगी।

10. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय,म0प्र0 जबलपुर में मान्य होगा। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।

11. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक स्थिति– एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

13. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

5. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूतिपत्रः–

स्टॉफ नर्स को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को रू. 50,000/–(पचास हजार रूपये) एंव अन्य खर्चे बाकी समयावधि के वेतन के बराबर राशि जमा करनी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

6. अनहर्ताएंः–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगाः–

I. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण(इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो या

II. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या

III. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या

IV. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या

V. कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या

VI. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई होः–

अ. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाए गए ।

ब. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

7. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्नलिखित प्रमाणपत्र आवश्यक हैः–

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछडा वर्ग में गैर क्रीमीलेयर अथवा इ.डब्ल्यू.एस का प्रमाणपत्र।

8. चयन प्रकिया–

अभ्यर्थियों का चयन एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित 100 अंको की परीक्षा पश्चात श्रेणीवार प्रावीण्य सूची के अनुसार होगा। ऑनलाइन परीक्षा एम.पी. ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शहरों में आयोजित की जावेगी। प्रावीण्य सूची

के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में आमन्त्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एंव व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण प्रत्रों की मूल प्रतियॉा प्रस्तुत करनी होगी। लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यार्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित की जावेगी, जो कि अभ्यार्थी केवल एम.पी. आनलाइन की बेबसाइट www.mponline.gov.in डाउनलोड करेंगे। लिखित परीक्षा में अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर प्रत्येक पद हेत एम.पी.ऑनलाईन द्वारा पृथक–पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी। दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जावेगा । प्रत्येक पद के लिए 1:8 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाया जावेगा।

एम.पी.ऑनलाइन पर भरे गए फार्म का प्रिंट तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों की छाया प्रति तथा मूल दस्तावेज सत्यापन समिति जो कि बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा निर्धारित की जावेगी से सत्यापित कराना होगा।

- दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसार भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान नहीं होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जावेगा ।
- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एंव व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉा प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा।
- चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9. आवेदन शुल्क :–

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1400/–(चौदह सौ रूपये)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिये 1200/–(बारह सौ रूपये) निर्धारित किये जाते है । आवेदकों द्वारा आवेदन शुल्क जमा किये जाने के उपरांत वापस नहीं किया जावेगा। (विषम परिस्थितियों को छोड़कर)

10. लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मापदंडः–

अनारक्षित एंव अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एंव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजनों अभ्यार्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यार्थियों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियॉ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वी में अधिक अंक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी। भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित मानकों पर योग्य पायें जाते है, उंन्हे अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में रखा जावेगा एंव आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदुओं के विरूद्व समायोजित किया जावेगा।

1. लिखित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराई जावेगी
2. परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी।
3. प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में वस्तुनिष्ट प्रश्नों के आधार पर होंगे।
4. कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

11. नर्सिंग हेतु पाठयकमः–

• Section A-Pathology • Section B-Genetics	• English • Anatomy	• Communication & Educational Technology • Child Health Nursing

• Medical Surgical Nursing (Adult Including Geriatrics)-I
• Medical Surgical Nursing (Adult Inculding Geriatrics)-II
• Protocals of NABH
• Guideline of Nursing staff as per NABH
• Data analysis & Entry
• Biomedical waste mangement
• Humanity
• Family Planing
• Infection Prevantion Practices.
• Nursing Research & Statistics
• Guidlines and Minumu requirements of Establish College of Nursing
	• Phusiology
	• Nutrition
	• Introduction to Computers
	• Community Health Nursing-I
	• Management of Nursing survice & Education
	• Digital health India –
	  • Arogya setu app
	  • Cowin app
	• Atamanirbhar Bharat
	• Biochemistry
	• Psychology
	• Microbiology
	• Sociology
	• Pathology & Gentics
	• Nursing Foundation
		• Mental Health Nursing Various Government Scheme running Medical college
		• Implamantation of Ayushman Bharat Yojna
		• Hospital information managment system. Registration of Bed Mangement.
		• Nursing skills in tertiary hospital & super specialty
		• protocol
		• Covid related protocol
		• Ragistration and implementation of jannani suraksha Yojana
		• Midwifery& Obstetrical Nusing
		• Midwifery& Obstetrical Nusing II
		• Pharmacology

12.स्टॉफ नर्स के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिकाः–

कंमाक	गतिविधि	तारीख
1	आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	21.05.2021
2	आनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	09.06.2021
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	08.06.2021
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	10.06.2021

उपरोक्त तिथियॉ बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी.ऑनलाइन तथा महाविद्यालय की बेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50रूपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे । परंतु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी। प्रवेश पत्र एंव लिखित परीक्षा हेतु तिथि की जानकारी के लिये एम. पी.ऑनलाइन की बेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

13. आवेदन कैसे करें:–

1- कृप्या आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक विज्ञप्ति के समस्त बिन्दुओं एवं निर्देशों को पढ़ लें।

2- आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in की बेबसाईट पर उपलब्ध है।

3- आवेदन के साथ दस्तावेंजो की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियॉ उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:–

1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र
2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबधित डिग्री अथवा डिप्लोमा
3. डिग्री अथवा डिप्लोमा के सभी वर्षो की अंकसूची।
4. इंटर्नशिप की मार्कशीट(जी.एन.एम कोर्स हेतु) एवं कोर्स कम्पलीशन सर्टिफिकेट(बी.एस.सी. हेतु यदि कॉलेज द्वारा प्रदान की गई हो)
5. मध्यप्रदेश नर्सिंग कांउसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
6. 12वीकक्षा की अंकसूची(बायलॉजी विषय से उत्तीर्ण)
7. जाति प्रमाण पत्र
8. अनुभव प्रमाण पत्र
9. अनापत्ति प्रमाण पत्र
10. पहचान संबंधी आधार/पेन/पासपोर्ट/लाइसेंस/बोटर कार्ड अथवा अन्य
11. फोटा एवं हस्ताक्षर

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।

4- **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी**

आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईनwww.mponline.gov.in पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध हैं। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के

अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम. पी. आनलाईनwww.mponline.gov.inपर Authorized Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं ।

5- इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्पयूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–

- आवेदक एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in बेबसाइट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑपशन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के लोगो पर क्लिक कर एप्लिकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दी हुई लिंक पर क्लिक करें ।
- आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in के माध्यम से या बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की बेबसाइट www.bmcsagar.edu.in दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह से पढ लें इसके उपरांत ही ऑनलॉइन आवेदन करने के लिये फॉर्म पर क्लिक करें । इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर आनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक द्वारा फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse**ब्राउस दिखाई देगा जिसमें आवेदक को अपना **नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित** अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ(प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें । इसके उपरांत उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg(200KB size or minimum) फारमेट में ही सेव करें । अव आवेदक Browse बटन पर क्लिक करे इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो–हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ ले और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है । यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरांत Submit बटन दबायें । इससे आवेदक को एक **आवेदन फार्म नंबर** प्राप्त होगा । इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

1. केडिट/डेबिट कार्ड ब. इंटरनेट बैंकिग

1. **केडिट/डविट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः–** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है । ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के केडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है । आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा । इसमें केडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रकिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**
2. **इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :–आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिग सुविधा अथवा यू.पी.आई सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग–इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक आपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण हाने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।

6- एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग–इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग–इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियॉ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि चाही गई समस्त जानकारियॉ फार्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध

कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक आनॅलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियॉ सही–सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा भाुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास संभालकर रखें।

7- जानकारी की भाुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।

8- यदि आवेदक के पास क्रेडिट / डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है. तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay For unpaid Applicationलिंक द्वारा परीक्षा भाुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा भाुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।

9- इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में द ार्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एंव अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay For unpaid Applicationमें उक्त जानकारियॉ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्तProceed to paymentबटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाइन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है / पेमेंट रसीद जेनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जेनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।**

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें आनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोटः– **यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे द ार्शाये गये दूरभाश नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।**

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गॉधी नगर भोपाल –462033, फोनः– 0755–6720200 / 0755–6720222 पर संपर्क करें।

14. महत्वपूर्ण टीप–

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे बीएमसी की बेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एंव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एंव निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिये एंव किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिये। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एंव तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। नवीन सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की बेबसाईट **www.bmcsagar.edu.in** का अवलोकन निरंतर करते रहें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर(म.प्र.)

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर (म.प्र.)
विज्ञप्ति के बिन्दु कमांक 2.9 हेतु आवेदन का प्रारूप
.......................के पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र (अंतिम तिथि / /2021)

प्रति,

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
शिवाजी वार्ड, तिली रोड,
सागर– 470001

आवेदित पद का नाम..

बैंक डिमांड ड्राफ्ट नं.................................दिनांक..................रूपयें...............बैंक का नाम..............................

शाखा का नाम ....

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी वर्णमाला में) :–..
2. अभ्यार्थी का नाम (अंग्रजी वर्णमाला में) :–..
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) :– ....
4. महिला/परूष :–..
5. जन्म दिनांक (अंको में) :–..................................शब्दो में ....
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित) ....

....

....

7. स्थाई निवास का पता ....

....

....

शहर का नाम :–.. फोन नंबर..

मोबाइल नंबर :–..ईमेल :–..

8. पहचान पत्र (कोई भी)..
9. दिनांक 01/01/2021 को आवेदक की आयु ..../दिन......................माह................................वर्ष..............................
10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति .... विवाहित/अविवाहित। विवाह दिनांक..
11. जीवित बच्चों की संख्या ....
12. विवाह का दिनांक ....
13. वर्ग ....अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विकलांग आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
14. म.प्र. महाकौशल नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन कमांक एवं नाम तथा दिनांक ....

....

15.म.प्र.फार्मेसी काउन्सिल का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक...

....

16. शैक्षणिक अर्हता :– (सभी बोर्ड 10वीं एवं 12 वीं तथा यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रमांक	शैक्षणिक अर्हता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	संस्था / बोर्ड / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रति ात	आवेदक विषय प्राप्तांक / पूर्णांक एवं प्रति ात

17. कार्य का अनुभव ....

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–..

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

स्थान :–... **अभ्यर्थी के हस्ताक्षरः–..**

दिनांकः– .... **(नाम ....)**

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने कि दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्व इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालयों में विचाराधीन है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम.........................)